न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—248/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/248)

1. कोमल कंवर पुत्री श्री दशरथ सिंह
2. समरसिंह पुत्र श्री दशरथ सिंह
   अपीलांटस संख्या 1 व 2 नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता अनोप कंवर पत्नि श्री दशरथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बस्सी, कंवलाई तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
3. दशरथ सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह जरिए पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर अनोप कंवर पत्नि री दशरथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बस्सी, कंवलाई तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. कैलाश कंवर पुत्री श्री नन्द सिंह
2. चतर सिंह पुत्र श्री नन्दसिंह
3. मालसिंह पुत्र श्री नन्दसिंह
4. सुगन कंवर पत्नि श्री नन्दसिंह
5. छगनसिंह पुत्र श्री देवीसिंह (मृतक) जरिए वारिसानः—
   5/1 भंवरसिंह पुत्र छगनसिंह
   5/2 हनुमानसिंह पुत्र छगनसिंह
   5/3 महावीर सिंह पुत्र छगनसिंह
   5/4 मनोहर सिंह पुत्र छगनसिंह
   5/5 रघुवीर सिंह पुत्र छगनसिंह
   5/6 सम्पत सिंह पुत्र छगनसिंह
   5/7 हेमा कंवर पुत्र छगनसिंह
6. मदनसिंह पुत्र किशनसिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम बस्सी, कंवलाई तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.08.2022 राजस्व वाद संख्या 32/2022.

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्रसिंह, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शंकर लाल चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 07
4. रेस्पोडेंट संख्या 5/1 से 5/7, 6 अनुपस्थित.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 28.06.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 32/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.08.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस द्वारा एक नियमित राजस्व वाद वास्ते बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके संलग्न प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात ग्राम कंवलाई तहसील पुष्कर जिला अजमेर में अवस्थित खाता संख्या 270 कुल किता 3 कुल रकबा 1.58 है0, खाता संख्या 284 कुल किता 2 कुल रकबा 0.09 हैक्टर, खाता संख्या 285 कुल किता 1 रकबा 0.71 है0 खाता संख्या 288 कुल किता 2 कुल किता 0.07 है0 खाता संख्या 291 कुल किता 8 कुल रकबा 2.30 है0 खाता संख्या 283 कुल किता 1 कुल रकबा 0.64 है0 खाता संख्या 292 कुल किता 7 कुल रकबा 0.52 है0 खाता संख्या 286 कुल किता 1 कुल रकबा 1.09 है0 है जिस बाबत पक्षकारों के मध्य आज दिनांक तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हो रखा है तथा वादग्रस्त आराजीयात का पक्षकारों के मध्य जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा किया जाकर रेस्पोडेंटस को ताफैसला मूल वाद जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर रेस्पोडेंटस को नोटिस जारी किए जाने का आदेश प्रदान किया तत्पश्चात अपने आदेश दिनांक 17.8.2022 के द्वारा अपीलांटस के उक्त प्रार्थना पत्र को अविधिक रूप से खारिज किए जाने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 32/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.08.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 5/1 से 5/7, 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेंटस विवादित आराजीयात बाबत बिना विधिक बंटवारा कराए विवादित आराजीयात के विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य कर विवादित आराजीयात की शक्ल परिवर्तित कर उक्त आराजीयात का रूपांतरण करवाने पर सख्त आमादा है तथा अपीलांटस द्वारा उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंटस को विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य नहीं किए जाने एवं बेचान किए जाने से रोकने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात बाबत आदेश दिनांक 18.7.2022 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की गई थी किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.8.2022 को अविधिक रूप से निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया। विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है जिस बाबत सभी काश्तकारों का उक्त आराजीयात पर विधि अनुसार प्रत्येक

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

इंच भूमि पर कब्जा माना जाता है परंतु रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 अपीलांटस की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात को खुर्द-बुर्द करने के उददेश्य से निर्माण कार्य करने पर सख्त आमादा थे तथा उक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अविधिक रूप से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को अपने आदेश दिनांक 17.8.2022 द्वारा निरस्त किया जाकर रेस्पोडेंटस को विवादित आराजीयात बाबत विशिष्ट भू-भाग पर निर्माण किए जाने का खुला लाईसेन्स प्रदान किए जाने जैसा आदेश प्रदान कर दिया जो कि काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को विधि अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति बाबत निर्णय पारित करना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तीनों बिंदुओं को अपने निर्णय दिनांक 17.8.2022 में किसी भी प्रकार से बिना विवेचन किए केवल मात्र विवादित आराजीयात बाबत अपीलांटस के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति सिद्ध नहीं होना अंकित करते हुए अपीलांटस के उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को अविधिक रूप से दिनांक 17.8.2022 द्वारा निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने उक्त आदेश में यह किसी प्रकार से अंकित नहीं किया गया कि अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदु प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलांटस के पक्ष में किस प्रकार से नहीं होकर रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। उक्त सभी तथ्यों को गौर करते हुए केवल मात्र रेस्पोडेंटस को अवाछित लाभ देने की गरज से आदेश दिनांक 17.8.2022 पारित कर दिया जो कि काबिल निरस्त योग्य है। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजीयात बाबत मात्र बंटवारे का राजस्व वाद तथा उक्त राजस्व वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पक्षकारों के मध्य बंटवारा किया जाना था तथा बिना मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाए बिना संबंधित पक्षकारों को अस्थाई निषेधाज्ञा से राजस्व वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना चाहिए था किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी नियमों एवं कानूनों को ताक में रखते हुए रेस्पोडेंटस को विवादित आराजीयात बाबत बिना मीटस एण्ड बाउण्डस कराए बिना विवादित आराजीयात को बेचान करने जैसा खुला आदेश दिनांक 17.8.2022 को पारित कर दिया जो कि काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा अपीलांटस के उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र बाबत दोनों पक्षों को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत दोनों पक्षों की बहस समाअत की जाकर बिना विवेचन किए मात्र 15 लाईनों में अपीलांटस के उक्त प्रार्थना पत्र का बिना कारणों का उल्लेख किए उक्त प्रार्थना पत्र को अविधिक रूप से दिनांक 17.8.2022 को खारिज कर दिया। जिससे उनका आदेश कतई अविधिक होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 32/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.08.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 1647/147 गलत अंकित कर रखे है ऐसी,

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है जबकि वास्तविक नम्बर 1647/142 है एवं आज से करीब 13 वर्ष पूर्व प्रार्थीगण के पिता एवं पति व अप्रार्थीगण 1 से लगायत 4 के बीच में खसरा नम्बर 1652/187 रकबा 0.0600 है0 किस्म गै0मु0 आबादी प्रार्थीगण के पिता एवं पति के हिस्से में भाई बंटवारे के अनुसार आई है जिस पर प्रार्थीगण के पिता व पति एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के पुश्तैनी मकान यानि सम्पूर्ण आराजी पर प्रार्थीगण के पिता व पति का ही कब्जा है। जिसका प्रार्थीगण के पिता व पति ही उपभोग करते चले आ रहे है जिसमें प्रार्थीगण के पिता व पति द्वारा दूसरा मकान व दुकानों का भी निर्माण कर रखा है। जिसका भी उपयोग प्रार्थीगण के पिता व पति ही करते आ रहे है। जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 को कोई आपत्ति व एतराज नहीं है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 1650/1340 रकबा 0.1400 है0 किस्म बारानी 3 में अप्रार्थीगण ही मकान बनाकर उपयोग उपभोग कर परिवार सहित निवास कर रहे है। इस बाबत प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय पुष्कर में भी दीवानी विविध प्रार्थना पत्र संख्या 39/2022 दशरथसिंह बनाम चरतसिंह व अन्य के नाम से मुकदमा विचाराधीन है जिसमें भी अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जवाब में दर्शित किया गया है कि खसरा नम्बर 1652/187 प्रार्थीगण के भाई बंटवारे के हिसाब से कब्जे में है और वो ही उसका उपयोग उपभोग कर रहे है एवं खसरा नम्बर 1650/1340 अप्रार्थीगण के हिस्से में भाई बंटवारे के अनुसार आया है जिसमें अप्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बर की आराजी का रहवास/निवास के उपयोग उपभोग में ले रहे हैं जिसमें प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा वास्ता सरोकार नहीं है। खाता संख्या 291 नया 188 पुराना के खसरा नम्बर 1652/187 एवं 1650/1430 का आज से 13 वर्ष पूर्व पारिवरिक बंटवारा हो गया है जिसमें प्रार्थीगण भाई बंटवारें में अपने हिस्से में आई जायदाद का उपयोग उपभोग कर रहे है इसीप्रकार अप्रार्थीगण भी भाई बंटवारे में अपने हिस्से में आई जायदाद का उपयोग उपभोग निवास/रहवास हेतु करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण भाई बंटवारे के अनुसार पूर्व में ही खसरा नम्बर 1652/187 पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है जिसमें अप्रार्थीगण का कोई एतराज नहीं है। तो बेदखली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार का फर्जी दस्तावेज या हैराफेरी नहीं कर रहे है, बल्कि प्रार्थीगण की एक भ्रामक मानसिक स्थिति होने के कारण ऐसे आरोप लगाए गए है एवं प्रार्थीगण द्वारा मात्र अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज किए जाने योग्य है एवं प्रार्थीया अनोप कंवर थाने में भी अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से झूठे–झूठे आरोप लगाकर प्रार्थना पत्र पेश कर रही है जिसमें जांच के पश्चात अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं है एवं अनोप कंवर अपने जीजा भंवरसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपूत निवासी डूमाडा के साथ में मिलकर षडयंत्र रचकर कानूनी दाव पेच लगाकर अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू–2019(1) पेज 525 न्यायिक दृष्टांत पेश किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादीगण/अपीलांटस द्वारा एक नियमित राजस्व वाद वास्ते बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके संलग्न प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात ग्राम कंवलाई तहसील पुष्कर जिला अजमेर में अवस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर रेस्पोडेंटस को नोटिस जारी किए जाने का आदेश प्रदान किया, तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 17.8.2022 के द्वारा अपीलांटस के उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने का आदेश पारित कर दिया जिस बाबत अपीलांट को हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु आवश्यकता हुई। हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में किसी भी प्रकार से यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों मूलभूत बिंदुओं यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति किसी प्रकार से प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होते है व किस प्रकार से रेस्पोडेंटस के पक्ष में निर्धारित करते हुए निर्णय दिनांक 17.8.2022 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को विधि अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति बाबत निर्णय पारित करना चाहिए था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तीनों बिंदुओं को अपने निर्णय दिनांक 17.8.2022 में किसी भी प्रकार से बिना विवेचन किए केवल मात्र विवादित आराजीयात बाबत अपीलांटस के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति सिद्ध नहीं होना अंकित करते हुए अपीलांटस के उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र को अविधिक रूप से दिनांक 17.8.2022 द्वारा निरस्त किया गया है। विवादित आराजीयात बाबत मात्र बंटवारे का राजस्व वाद तथा उक्त राजस्व वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों के मध्य बंटवारा किया जाना था तथा बिना बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाए बिना संबंधित पक्षकारों को अस्थाई निषेधाज्ञा से राजस्व वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना चाहिए था किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी नियमों के विपरीत रेस्पोडेंटस को विवादित आराजीयात बाबत बिना बाई मीटस एण्ड बाउण्डस कराए ही प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया गया है जिससे वादग्रस्त आराजीयात बाबत् वाद की बाहुल्यता बढ़ेने के साथ–साथ भूमि का अन्यत्र बेंचान, हस्तातंरण इत्यादि होने की संभावना रहती है तथा मान्नीय उच्चतर न्यायालयों ने अपने अनेकों आदेशों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि वाद के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त आराजी को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाना आवश्यक है, इसलिए वादग्रस्त आराजीयात को बाई मीटस एण्ड बाउण्डस होने तक सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.8.2022 निरस्त किए जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होने से स्वीकार की जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

7. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 32/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.08.2022 को निरस्त किया जाता है तथा आदेश में अंकित विवादित आराजी की उभयपक्षकारान को ताफैसला वाद मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद फरमाया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील-प्राधिकारी,
अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व-अपील-प्राधिकारी
अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर